अभियान

यौनिक स्वास्थ्य व अधिकार - कुछ आधार

यौनिक स्वास्थ्य

यौनिकता और यौनिक स्वास्थ्य की धारणाएं प्रायः एक दूसरे के स्थान पर अदल-बदल कर प्रयोग की जाती हैं, यद्यपि, यौनिक स्वास्थ्य यौनिकता का ही एक अंग है। यौनिक स्वास्थ्य की एक परिभाषा है:

"यौनिक स्वास्थ्य स्त्रियों और पुरुषों द्वारा अपनी यौनिकता को अभिव्यक्त करने व उसका आनन्द लेने की, और ऐसा, अनचाहे गर्भ, ज़ोर-ज़बदस्ती, हिंसा और भेदभाव के बिना तथा यौन संबंधी बीमारी के जोखिम से मुक्त हो, कर पाने की क्षमता है। यौनिक स्वास्थ्य का अर्थ आत्मसम्मान, मानव यौनिकता की एक सकारात्मक सोच, और यौनिक संबंधों में आपसी सम्मान पर आधारित एक सूचित, आनंदमय और सुरक्षित यौनिक जीवन व्यतीत कर पाना भी है। यौनिक स्वास्थ्य, जीवन, निजी संबंधों और यौनिकता पर आधारित पहचान की अभिव्यक्ति में वृद्धि करता है। यह सकारात्मक रूप से वृद्धिपरक है, इसमें आनंद सम्मिलित है, और यह स्वाधीनता, संचार तथा संबंधों को निखारता है।"

— हैल्थ, एम्पावरमेंट, राइट्स एण्ड अकांउटेबिलिटी - हेरा स्टेटमेंट

इस प्रकार यौनिक स्वास्थ्य संपूर्ण खुशहाली का संकेत देता है। यौनिक स्वास्थ्य की इस समझ को मानें, तो सेवाएं और कार्यक्रम सर्वोत्तम यौनिक स्वास्थ्य को और यौनिकता के सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकते हैं। यह कार्य स्त्रियों-पुरुषों के एवं लड़कियों और लड़कों को निम्नलिखित के लिए प्रोत्साहित करने के द्वारा किया जा सकता है।

- अपने शरीर व अपनी यौनिकता को स्वीकारना और उसके साथ सहजता से जीना।
- स्वंय यह तय कर पाना, कि कब और कैसे आपसी सहमति से संबंध/संबंधों को बनाना है और/या यौनिक क्रियाओं में भाग लेना है।
- अपने मूल्यों के बारे में स्पष्टता और दूसरों के मूल्यों का सम्मान करना।
- अपनी आवश्यकताओं को अपने साथी/साथियों की आवश्यकताओं की समझ होना।
- अपनी यौनिक आवश्यकताओं को अपने साथी/साथियों के सामने सम्मानजनक तरीके से रखना।
- बिना ग्लानि, डर और शर्म के यौनिक आनन्द लेना।
- दूसरों के अधिकारों, स्वायत्तता, यौनिक प्रवृतियों, प्राथमिकताओं और मूल्यों का सम्मान करना।
- दूसरों के शरीर व शारीरिक निष्ठओं का आदर करना।
- अपनी यौनिकता को बिना हिंसा, ज़ोर-ज़बरदस्ती या शोषण के अभिव्यक्त करना।
- अपने आपको व अपने साथी/साथियों के संक्रमण व बीमारियों से बचाना।
- यह तय करना कि यदि बच्चे चाहिए, तो कब और कितने।
- यौनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने और श्रेष्ठतम बनाने के लिए सूचना, सेवाओं, संसाधनों और विकल्पों को ढूंढना।

यौनिक अधिकार

"यौनिक अधिकार मानव अधिकारों के मूलभूत तत्व हैं। इनमें आनंदमय यौनिकता को अनुभव करने का अधिकार शामिल है, जो अपने आप में आवश्यक है, और इसके

साथ ही यह लोगों के बीच संवाद और प्रेम का मूल माध्यम है। यौनिक अधिकार, यौनिकता के ज़िम्मेदार प्रयोग में स्वाधीनता और स्वायत्ता के अधिकार को सम्मिलित करते हैं।" —हेरा स्टेटमेंट

क्योंकि यौनिकता मानव होने का एक बुनियादी हिस्सा है, यौनिक अधिकारों की धारणा मानव अधिकारों के व्यापक ढाँचे का अंश हैं। मानव अधिकार सब लोगों के जीवन के सभी पहलुओं में गरिमा, महत्व, सम्मान, समानता, तथा स्वायत्तता को स्वीकार करते हैं। स्त्रियों व पुरुषों को अपनी यौनिकता को अभिव्यक्त करने तथा आनंद उठाने के लिए और यौनिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, शिक्षा और सेवाओं की पहुंच के द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए यौनिक अधिकार आवश्यक हैं इसलिए —

- यौनिक अधिकार विशेष सुविधा या उपकार नहीं हैं, बल्कि ये सभी स्त्रियों और पुरुषों की हक़दारी है।
- यौनिक अधिकार व्यक्ति व समूह दोनों की सुरक्षा करते हैं।
- मानव अधिकारों की तरह यौनिक अधिकारों की धारणा गैर-भेदभाव को सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराती है। इसलिए इसका उपयोग किसी एक व्यक्ति या समूह को दूसरे की तुलना में अधिक महत्व देने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- यौनिक अधिकार दूसरे अधिकारों की तरह मान्य हैं, जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य और आवास का अधिकार।
- यौनिक अधिकार- शारीरिक निष्ठा जैसे अधिकार, साथ ही ऐसे अधिकार जो उल्लघंनों के विरुद्ध बचाव प्रदान करते हैं, जैसे कि यौनिक क्रिया में ज़बरदस्ती न करने देने का अधिकार, की हक़दारी को निश्चित करते हैं।

यौनिक अधिकार कुछ नैतिक सिद्धान्तों पर आधारित हैं। ये सिद्धान्त इस प्रकार हैं:

- शारीरिक निष्ठा (बॉडिली इनटेगरिटि)- अपने शरीर पर नियंत्रण और सुरक्षा का अधिकार। इसका अर्थ है कि सभी स्त्रियों और पुरुषों को न केवल अपने शरीर को हानि से बचाने का बल्कि अपने शरीर का पूरा संभावित आनंद उठाने का अधिकार।
- स्वाधिकार (परसनहुड)- स्वाधीनता का अधिकार। इसका अर्थ है कि सभी स्त्रियों और पुरुषों को न केवल अपने शरीर को हानि से बचाने का बल्कि अपने शरीर का पूरा संभावित आनंद उठाने का अधिकार है।
- समानता (इक्वॉलिटि)- सभी व्यक्ति समान हैं और उन्हें आयु, जाति, वर्ग, प्रजाति, जेन्डर, शारीरिक योग्यता, धार्मिक या अन्य विश्वासों, यौनिक प्रवृति तथा अन्य ऐसे कारणों पर आधारित भेदभावों के बिना मान्यता दी जानी चाहिए।
- विविधा (डायवर्सिटी)- भिन्नता के लिए आदर। लोगों की यौनिकता और उनके जीवन के अन्य पहलुओं में विविधता भेदभाव का आधार नहीं होनी चाहिए। विविधता के सिद्धान्त का दुरुपयोग पिछले तीनों नैतिक सिद्धान्तों के उल्लघंन के लिए नहीं होना चाहिए।

यौनिक अधिकारों में शामिल है:

- किसी संक्रमण, बीमारी, अनचाहे गर्भ या हानि के डर के बिना यौनिक आनन्द का अधिकार।
- यौनिक अभिव्यक्ति का अधिकार और अपने निजी, नैतिक और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप यौनिक निर्णय लेने का अधिकार।
- यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी देख-रेख, जानकारी, शिक्षा और सेवाओं का अधिकार।
- शारीरिक निष्ठा का अधिकार और यह चुनने का अधिकार कि यदि चाहें तो कब, कैसे और किसके साथ पूर्ण सहमति के द्वारा यौनिक रूप से सक्रिय हों और यौनिक संबंधों को बनाएं।
- पूर्ण तथा स्वतंत्र सहमति और बिना किसी ज़ोर-जबरदस्ती के संबंध (जिसमें शादी शामिल है) बनाने का अधिकार।
- यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में एकान्तता और गोपनीयता का अधिकार।
- बिना किसी भेदभाव के और प्रजनन से अलग अपनी यौनिकता को अभिव्यक्त करने का अधिकार।

साभार: सामान्य आधार यौनिकता
यौनिकता पर कार्य करने के सिद्धांत, तारशी 2003